न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 337/2025
निर्णय दिनांकः–17.11.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. ओमप्रकाशपुरी पुत्र विजयपुरी द.पु. गजानन्दपुरी जाति गोस्वामी निवासी कांसेल, तहसील फागी, जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. महेशपुरी पुत्र विजयपुरी जाति गोस्वामी निवासी कांसेल, तहसील फागी, जिला जयपुर राज.।
3. रमेशपुरी पुत्र विजयपुरी जाति गोस्वामी निवासी कांसेल, तहसील फागी, जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री नेतराम जाट वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत संशोधित किये जाने तरमीम
अन्तर्गत धारा 111 LR Act. 89 व धारा R.T. Act.

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी की कब्जेंशुदा आराजीयात जिसके खतौनी संख्या 7 के आराजी खसरा नं. 1325/219 रकबा 0.0379 हैक्टयर किस्म गै.मु. बाडा तथा अप्रार्थीगण की भूमि जिसके खतौनी संख्या 112 के आराजी खसरा संख्या 1276/219 रकबा 0.0379 हैक्टयर वाके ग्राम कांसेल पटवार हल्का कांसेल, भू.अभि.नि. क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी के पूर्व में एक ही खसरा नं. 219 थे एवं उक्त आरजीयात पर खातेदारान राजस्व रिकार्ड के हिस्सेनुसार तथा कब्जेंनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज है उक्त आराजीयात का खातेदारान की आपसी सहमति से दिनांक 27/06/2017 को नामान्तकरण संख्या 762 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1276/219 के सम्पूर्ण खाते कर विधिवत तकासमा किया जाकर आराजी खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
फागी

1276 / 219 रकबा 0.03 गै.मु.बाडा में खातेदारी अप्रार्थीगण महेशपुरी, रमेशपुरी पि० विजयपुरी जाति गुसाई सा0देह तथा आराजी खसरा संख्या 1325 / 219 रकबा 0.03 गै0मु0बाडा में खातेदार ओमप्रकाशपुरी पि० मु. गजानन्दपुरी कौम गुसाई सा०देह के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ था। खातेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहें हैं जिसके अनुसार सड़क के लगवा उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1325 / 219 तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में सड़क के लगवा ही खसरा संख्या 1276 / 219 के खातेदार कब्जें अनुसार काबिज हैं। खातेदारान मौके कब्जे अनुसार काबिज होकर उपयोग.उपभोग करते आ रहे हैं लेकिन डी०आई०एल०आर०एम०पी० योजना के अन्तर्गत राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर गये बिना ही गलत तरमीम कर दी गई इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। डी०आई०एल०आर०एम०पी० योजना के तहत राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना भौतिक कब्जे की जाँच किये नवीन तरमीम कर दी गई है जो गलत है। डी०आई०एल०आर०एम०पी० योजना के तहत की गई तरमीम जो पटवार हल्का द्वारा मौके पर नहीं जाकर बिना भौतिक कब्ज़े की जाँच किये की गई तरमीम है जो गलत होने से प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों के मध्य सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होने लगे हैं जिससे उक्त खसरें में प्रार्थी की तरमीम भौतिक कब्जेंनुसार तरमीम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। आराजी खसरा नं 1325 / 219 रकबा 0.0379 हैक्टयर वाके ग्राम कांसेल, पटवार हल्का कांसेल, भू.अभि. नि.क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर पर प्रार्थी अपने कब्जेनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु नक्शा लट्ठा में डी०आई०एल०आर०एम०पी० योजना के तहत की गई तरमीम से प्रार्थी व पडौसी खातेदारों के मध्य आये दिन लडाई.झगडा होता रहता है। जबकि प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात पर अपने पूर्व के कब्जेंनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर कानूनगों ने तरमीम मौके पर जाकर नहीं कर अपनी मनमर्जी से कर गलत तरमीम कर दी है इसलिए उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। हाल ही में दिनांक 04 / 07 / 2025 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी की कब्जेंशुदा आराजी पर आये व प्रार्थी के कब्जेंशुदा आराजी पर नक्शा लट्टे में हो रखी गलत तरमीम के आधार पर बेदखल करने पर आमादा हो गये प्रार्थी द्वारा उक्त जगह अपना कब्जा शुरू से होना बताया तथा नक्शा लट्ठा में डी०आई०एल०आर०एम०पी० योजना के तहत की गई तरमीम को सही करवाने बाबत् कहा तो पडौसी खातेदारान ने प्रार्थी की एक नहीं सुनी व उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी को कब्जाशुदा भुमि से बेदखल करने की धमकियों देने लगे इसलिए ऐसी अवस्था में जब तक विवादित आराजीयात की वैधानिक रूप से भौतिक कब्जेंनुसार नक्शे लट्टे में तरमीम नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थी को पाबन्द करना न्यायोचित होगा। प्रार्थी व पडौसी खातेदारान के मध्य मूल विवाद गलत तरमीम को लेकर है प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाउ कर मौके पर काबिज है परन्तु नक्शा लटटा में तरमीम वैधानिक रूप से न होकर बिना भौतिक कब्जे की जाँच किये गलत रूप से कर दी गई है जिससें पडौसी खातेदारान प्रार्थी के कब्जें काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र में मुख्य विवाद नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को लेकर है जिसके लिये तहसीलदार फागी से विवादित खसरा नं. 1325 / 219 की मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित होगा। जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद का सही निस्तारण हो सकें। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। विवाद की विषय वस्तु व पक्षकारान का विवाद कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 2, 3 की रजि0 डाक से तामिल को एक माह से अधिक समय हो चुका है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 अनुपस्थित है इसलिएस अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तथा अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में खसरा नं. 1325 / 219 रकबा 0.0379 हैक्टेयर गैर मु0 बाडा खातेदार ओमप्रकाशपुरी पुत्र विजयपुरी दत्तक पुत्र गजानंदपुरी जाति गुसाई राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वर्तमान में जमाबंदी संलग्न तथ अप्रार्थीगण महेश, रमेश पुत्रान विजयपुरी हिस्सा बराबर खसरा नं. 1276 / 219 रकबा 0.0379 किस्म गैर मु0 बाडा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नं. 1325 / 219 रकबा 0.0379 व खसरा नं. 1276 / 219 रकबा 0.0379 पूर्व में दोनो खसरा नं. 1276 / 219 रकबा 0.06 बिस्वा था और प्रार्थी एवं अप्रार्थी कि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। नामान्तकरण्ण सं. 762 दिनांक 27.06.2017 विभाजन पत्र द्वारा खसरा नं. 1276 / 219 व 1325 / 219 बने जिनका रकबा 0.03 बिस्वा प्रत्येक का (0.0379 हैक्टेयर प्रत्येक) उक्त विभाजन नामांतकरण में नजरी नक्शा पुस्त पर बना हुआ है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रांक के साथ संलग्न है। डी.आई. एल.आर.एम.पी. नक्शा शीट में वादी की तरमीम मुताबिक कब्जा व विभाजन के अनुसार नहीं होकर विपरीत हो गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। नक्शा तरमीम को संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। पटवार हल्का कांसेल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण में तरमीम दुरूस्ती की अभिशंषा की जाती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 — 2075 वाके ग्राम कांसेल के खाता सं0 7 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा खाता सं0 112 में अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

ओमप्रकाशपुरी बनाम तहसील बगै0
मु0न0:– 337 / 2025
निर्णय दिनांक:– 17.11.2025

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1325 / 219 भूमि वाके ग्राम कांसेल तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सत्यमेव जयते